



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 01.08.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लोहता मे पंजीकृत पाक्सो से सम्बन्धित अभियुक्त को कुल सात वर्ष के कारावास व 16,000/- रु0 का अर्थदण्ड ।

थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-179/2013, मु0नं0-15/2013 धारा- 363,366,354क,506,376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त इन्दल पटेल पुत्र स्व0 राजकुमार पटेल निवासी- चुरामनपुर थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी को थानाध्यक्ष लोहता व मॉनिटरिंग सेल कमिश्नरेट वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 01.08.2025 को माननीय न्यायालय ACC मेन/वि0 न्या0 पाक्सो 03 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा- 354क भादवि में पाँच वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये का अर्थदण्ड, अन्तर्गत धारा 366 भादवि में पाँच वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड, 506 भादवि में दो वर्ष के कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदण्ड व अन्तर्गत धारा ¾ पाक्सो एक्ट में सात वर्ष कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी ।